राजस्थान सरकार
राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः एफ–12 (2)/एन.आर.एच.एम./आयुष/08/5817 दिनांकः 15.12.9

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
चित्तौड़गढ, हनुमानगढ़, पाली एवं जालौर।

विषय :– एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत व्यक्तिगत अनुबंध हेतु आयुर्वेद चिकित्सकों को जिला आवंटन के क्रम में।
संदर्भ :– निदेशालय का पत्र क्रमांक एफ–12 (2)/एन.आर.एच.एम./आयुष/2008/3545 दिनांक–19.8.09

संदर्भान्तर्गत विषयानुसार लेख है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 500 आयुष चिकित्सकों के चयन हेतु दिनांक 22.9.08 को जारी विज्ञप्ति के अनुसरण में राज्य स्तरीय वरीयता सूची के अनुसार निम्नांकित एम.डी. उपाधिधारी आयुष चिकित्सकों को आयुष चिकित्सक के पद पर चयनित करते हुए उनके सम्मुख अंकित स्थानों पर नियुक्त किया जाता है एवं इन्हें प्रतिमाह रू. 15000/– समेकित मानदेय देय होगा–

क्र.सं.	राज्य स्तरीय प्रतीक्षा सूची वरीयता क्रमांक	नाम	पदस्थापित स्थान
1.	वरीयता क्रमांक–4	डॉ. हंस राज शर्मा	जिला समन्वयक, आयुष मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी कार्यालय, चित्तौड़गढ़
2.	वरीयता क्रमांक–17	डॉ. औमप्रकाश शर्मा	जिला समन्वयक, आयुष मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी कार्यालय, हनुमानगढ़
3.	वरीयता क्रमांक–30	डॉ. उमेश कुमार शर्मा	जिला समन्वयक, आयुष मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी कार्यालय, पाली
4.	वरीयता क्रमांक–33	डॉ. दिनेश चन्द शर्मा	जिला समन्वयक, आयुष मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी कार्यालय, जालौर

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि क्रम संख्या 1 से 4 तक के अभ्यर्थियों को जिला समन्वयक, आयुष (District Coordinator, AYUSH) के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में कार्यग्रहण करवाकर सूचित करें। इन पदस्थापित चिकित्सकों के द्वारा एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत आयुष से संबंधित समस्त गतिविधियों के प्रभावी संचालन निरीक्षण एवं नियंत्रण का कार्य संपादित किया जायेगा। इन नियुक्त जिला समन्वयक, आयुष के लिए पृथक से कक्ष आवंटित कर एक कम्प्यूटर ऑपरेटर मय कम्प्यूटर प्रिंटर जिला स्वास्थ्य समिति

के माध्यम से शीघ्र उपलब्ध करवावें, ताकि आपके जिले में आयुष से संबंधित समस्त कार्यों का संपादन इनके माध्यम से करवाया जा सके।

जिला समन्वयक, आयुष (District Coordinator, AYUSH) निर्धारित प्रपत्रानुसार कार्य संपादन करेंगे। इनका जिला स्वास्थ्य समितियों में आमंत्रित सदस्य के रूप में मनोनयन किया जाता है, ताकि जिला स्तर पर प्रभावी समन्वय स्थापित हो सके। इन्हें नियमानुसार निरीक्षण आदि कार्यों के लिए जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से मोबिलिटी उपलब्ध करवाई जावेगी।

इन अभ्यर्थियों की उपस्थिति लेते समय नियुक्ति से पूर्व निम्न कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें–

1. अभ्यर्थियों से दिनांक 24.12.09 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करवाया जावेगा एवं अभ्यर्थी से व्यक्तिगत अनुबंध दिनांक 31.03.2010 तक के लिए किया जाना है।
2. नियुक्ति से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त छायाप्रतियों का मिलान मूल दस्तावेज से करवाया जावेगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो उसकी उपस्थिति नहीं ली जावे। चयनित अभ्यर्थियों से एम.डी. उपाधि के सत्यापन बाद ही कार्यग्रहण करवाया जायेगा।
3. अभ्यर्थी के योग्यता संबंधी सभी मूल प्रमाण पत्र लिये जाकर उनका सत्यापन संबंधित संस्था से करवाये जाने के पश्चात् ही उन्हें अभ्यर्थी को वापस लौटाये जावेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/दस्तावेज फर्जी/परिवर्तित/कूट रचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे साथ ही दोषी के विरूद्ध न्यायिक/दाण्डिक कार्यवाही भी की जावेगी।
4. निर्धारित दिनांक 24.12.09 तक उपस्थिति नहीं देने वाले अभ्यर्थी का चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा।
5. नियुक्ति से पूर्व राज्य के इंडियन मेडिसिन बोर्ड/होम्योपैथी बोर्ड से पंजीयन होने का नवीनतम प्रमाण पत्र अभ्यर्थी से लिया जावेगा।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यथियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र छः माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी द्वारा छः माह से पुराना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे नवीनीकृत करवाने के पश्चात् ही उपस्थिति ली जावे। महिला अभ्यर्थी होने की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से ही जारी किया हुआ होना चाहिए।
7. विकलांग अभ्यर्थी होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी द्वारा सक्षम स्तर से जारी विकलांगता प्रमाण पत्र की जांच की जावे।
8. दिनांक 15.10.08 से पूर्व अनिवार्य इन्टर्नशिप पूरी होने का प्रमाण पत्र लिया जावे।

9. अभ्यर्थी से संतान संबंधी, विवाह तथा दहेज का निर्धारित शपथ पत्र एवं एनआरएचएम में पूर्व से पदस्थापित नहीं होने का शपथ पत्र भी नियुक्ति से पूर्व लिया जावे।
10. अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति से पूर्व दो सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
11. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों से मिलान एवं सत्यापन होने के पश्चात् आपके द्वारा जिला समन्वयक, आयुष के पद पर नियुक्ति पत्र जारी किया जावेगा।
12. नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मुख्यालय जयपुर से पूर्व में भिजवाये गये अनुबंध पत्र के अनुसार कार्यग्रहण की अंतिम दिनांक 24.12.09 तक जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से अनुबंध किया जावेगा।
13. नियुक्ति की अंतिम तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की सूचना मुख्यालय को तत्काल भिजवावें।

(भवानी सिंह देथा)
मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम.

क्रमांकः एफ–12 (2)/एन.आर.एच.एम./आयुष/08/ 5817 दिनांकः 15.12.9

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं आयुर्वेद, चिकित्सा शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम., मुख्यालय, जयपुर।
5. संबंधित जिला कलेक्टर।
6. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर।
7. संबंधित संयुक्त निदेशक।
8. संबंधित जिला आयुर्वेद अधिकारी।
9. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वैबसाईट पर शीघ्र जारी करें।
10. रक्षित पत्रावली।

मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम.